भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1864

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

कारीगरों को डिजिटल लेनदेन का प्रशिक्षण

1864. सुश्री इकरा चौधरीः
श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री लालजी वर्माः
श्री नीरज मौर्यः
श्रीमती रुचि वीराः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन और ब्रांड संवर्धन के लिए कोई स्थायी बुनियादी ढांचा योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केवल पंजीकरण के आंकड़े पूरा करने के बजाय उक्त योजना के तहत लाभार्थियों की आय में वास्तविक वृद्धि का आकलन करने के लिए कोई स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या युवा शिक्षित शिल्पकारों को डिजिटल लेन-देन और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों में पारंगत बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या असंगठित क्षेत्र के इन पारंपरिक कामगारों को वृद्धावस्था में वित्तीय असुरक्षा से बचाने के लिए उक्त योजना के साथ किसी सामाजिक सुरक्षा या पेंशन लाभ को जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम को दिनांक 17.09.2023 को 18 पारंपरिक व्यापारों के ऐसे कारीगरों और शिल्पकारों, जो अपने हाथों और औजारों से कार्य करते हैं, को समग्र सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। इस स्कीम में 18 व्यापारों नामतः बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, मेटल कारीगर, टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाले, मोची/फुटवियर कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता, खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी तथा मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं। इस स्कीम के तहत, पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने, प्रदर्शन करने और बेचने के लिए व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों आदि सहित विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) : सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 11,591 लाभार्थियों को कवर करते हुए आईआईएम, मुंबई द्वारा आयोजित पीएम विश्वकर्मा स्कीम के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार और बैंक अधिकारियों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), इंडिया पोस्ट कर्मियों और प्रशिक्षण केंद्रों जैसे हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया को शामिल करते हुए 93% हितधारकों ने प्रशिक्षण के बाद आय में सामान्य से पर्याप्त वृद्धि होने की सूचना दी है, जिससे इंगित होता है कि प्रशिक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए गए कौशल से ठोस आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

(ग) : त्रि-स्तरीय सत्यापन के बाद सफलतापूर्वक पंजीकृत पीएमवी कारीगर कौशल उन्नयन, क्रेडिट सहायता, आधुनिक टूलकिट, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहायता सहित स्कीम के सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं।

आज की तारीख तक, 24.29 लाख लाभार्थियों को आधारभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कौशल उन्नयन के माध्यम से लाभार्थियों के कौशल का संवर्धन होता है और विपणन तथा उद्यमिता ज्ञान के साथ उन्हें आधुनिक उपकरणों, सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों और नवीन डिजाइनों, डिजिटल लेनदेन से अवगत कराया जाता है। लाभार्थियों को अपने प्रचालन कार्यों को बढ़ाने, अपने उपकरणों और व्यवसाय को आधुनिक/उन्नत बनाने और उद्यमियों के रूप में औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने तथा राष्ट्र निर्माण के बड़े लक्ष्य में योगदान देने के लिए को प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण सहित विभिन्न सरकारी स्कीमों के तहत लाभ उपलब्ध कराने हेतु पात्रता प्राप्त कराने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर भी शामिल किया गया है।

आज की तारीख तक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में 1500 से अधिक जागरुकता कार्यक्रमों/शिविरों, 50 से अधिक कार्यशालाओं, 82 व्यापार मेलों, 37 राज्य-स्तरीय प्रदर्शनियों और 50 से अधिक फ्लैश मॉब्स का आयोजन किया गया है।

(घ) : आज की तारीख तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
